न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 166/2019
अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. जगराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र उर्फ दाना पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. लादुराम उर्फ पतराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 16/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 130/127 की कुल 12.8520 हैक्ट भूमि में से 2141/12852 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त कृषि भूमि सयुक्त परिवार की आय से काशीराम द्वारा खरीद की हुई भूमि है काशीराम ने अत्याधिक लाड़ प्यार के कारण तथा यह सोचकर की अन्य वारिसो के नाम बाद में और खरीद लेगे यह सोचकर यह भूमि अकेले लादुराम उर्फ पतराम के जो परिवार का बड़ा था अलेके के नाम करवा दी जबकि लादुराम उस समय नाबालिग था तथा उसके पास आय का कोई साधन नही था तथा उक्त भूमि की समस्त राशि परिवार की सयुक्त आय से सायलान व गैरसायलान द्वारा शामिल रूप से दी गई थी। इसलिए इस भूमि में सायलान का प्रत्यक का 1/6, 1/6 हिस्सा, तथा गैरसायल सं. 1 का 1/6 हिस्सा व दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा तथा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 3 का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकाड करवापाने के अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान [illegible] अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की [illegible] निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि गैरसायल

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की स्वयं की अर्जित भूमि है गैरसायल के नाम उक्त भूमि जरिये बैयनाम दर्ज हुई है इसमें सायलान का कोई हक हिस्सा नही है अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त कृषि भूमि सयुक्त परिवार की आय से काशीराम द्वारा खरीद की हुई भूमि है काशीराम ने अत्याधिक लाड़ प्यार के कारण तथा यह सोचकर की अन्य वारिसो के नाम बाद में और खरीद लेगे यह सोचकर यह भूमि अकेले लादुराम उर्फ पतराम के जो परिवार का बड़ा था अलेके के नाम करवा दी जबकि लादुराम उस समय नाबालिग था तथा उसके पास आय का कोई साधन नही था तथा उक्त भूमि की समस्त राशि परिवार की सयुक्त आय से खरीद शुदा भूमि है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि सयुक्त परिवार की साझा आय से अर्जित की गई हो उक्त भूमि अप्रार्थी की जरिये बैयनामा खरीद की गई है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested